



सीएसआईआर- प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान (एम्प्री)
CSIR- Advanced Materials and Processes Research
Institute (AMPRI)
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
(Council of Scientific and Industrial Research)
नर्मदापुरम रोड, हबीबगंज नाका के पास, भोपाल-462026 (म.प्र.)
Narmadapuram Road, Near Habibganj Naka, Bhopal-462026 (MP)



No. 21(8)/Admin.Rectt/RECT-02/2026

Dated: 28.10.2026

सूचना / NOTICE

विषय Subject: विज्ञापन संख्या RECT-02/2026 के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु योग्यता की समकक्षता से संबंधित प्रश्नों के संबंध में सामान्य सूचना। / General Notice on queries regarding equivalence of qualifications for the posts advertised under Advertisement No. RECT-02/2026.

संदर्भ / Ref: CSIR-AMPRI Advertisement No. RECT-02/2026 dated 07.10.2026

विज्ञापन संख्या RECT-02/2026 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के संबंध में संस्थान को अनेक अभ्यर्थियों से ईमेल प्राप्त हुए हैं। इन ईमेल में अनिवार्य योग्यता की समकक्षता और पात्रता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।/ The Institute has received emails from several candidates regarding the posts advertised under Advertisement No. RECT-02/2026. These emails seek clarification on the equivalence of qualifications and on eligibility.

सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पात्रता की शर्तें विज्ञापन में निर्धारित अनुसार ही लागू होंगी। विज्ञापन के खंड 2(2) के अनुसार, पात्रता के संबंध में कोई अग्रिम परामर्श नहीं दिया जाएगा। विज्ञापन के खंड 2(8) के अनुसार, जो अभ्यर्थी किसी योग्यता को विज्ञापित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष बताता है, उसे समकक्षता सिद्ध करनी होगी। यह दायित्व अभ्यर्थी का है।

All candidates are informed that the eligibility conditions remain as prescribed in the advertisement. As per Clause 2(2) of the advertisement, no advance advice on eligibility will be given. As per Clause 2(8) of the advertisement, a candidate who claims a qualification as equivalent to the advertised essential qualification must establish that equivalence. The responsibility rests with the candidate.

संवीक्षा के समय समकक्षता केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी औपचारिक समकक्षता आदेश के आधार पर स्वीकार की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी का आशय भारत सरकार, यूजीसी/एआईयू अथवा उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के वैधानिक निकाय से है। अभ्यर्थी को यह आदेश स्वयं प्रस्तुत करना होगा। जैसा विज्ञापन में उल्लिखित है, योग्यताओं की समकक्षता पर सीएसआईआर का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

At the time of screening, equivalence will be accepted only on the basis of a formal equivalence order issued by a competent authority. A competent authority means the Government of India, the UGC/AIU, or the statutory body of the awarding university. The candidate must produce this order. As stated in the advertisement, the decision of CSIR on the equivalence of qualifications will be final and binding.

विज्ञापन संख्या RECT-02/2026 के अन्य सभी नियम, शर्तें एवं निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। / All other terms, conditions and instructions of Advertisement No. RECT-02/2026 remain unchanged. Candidates are advised to read the advertisement carefully before applying.

अबुभाग अधिकारी(सा) / Section Officer(Gen)